भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन तथा डेरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1992

का.आ. 891(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987
(1987 का 37वां) की धारा 8 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को बोर्ड का

निदेशक नामांकित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशु-पालन तथा डेरी विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 68(ई) तारीख 22 जनवरी, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

कथित अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के साथ, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"7. श्री रानु प्रनन्त प्रभु देसाई   धारा 8(2)(ण) के अधीन निदेशक,
प्रध्यक्ष, गोवा दुग्ध संघ ।   सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना
    के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के
    लिए

8. डॉ. जगदीश चन्द्र बक्शी,   धारा 8(2)(ड) के अधीन निदेशक,
भूतपूर्व कुलपति, राजेंद्र कृषि विश्व-   सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रका-
विद्यालय, पूसा, बिहार ।   शन की तारीख से 4 नवंबर, 1993 तक"

[संख्या 17-1/91-एल. डी-1]

श्री. सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग-2, खंड 3, उपखंड (2) में 22 जनवरी, 1992 को पृष्ठ संख्या 2 पर कृषि मंत्रालय, पशुपालन तथा डेरी विभाग द्वारा तारीख 22 जनवरी, 1992 को जारी की गई अधिसूचना सं. 17-1/91-पशु. वि.-1 का आ. 68(ई) के अधीन प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry & Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1992

S.O. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government, after consultation with the Chairman, hereby nominates the following persons as Directors of the Board and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying) number S.O. 68(E), dated the 22nd January, 1992, namely :—

In the said notification, after serial No. 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

"7. Shri Ranu Anant Prabhu Dessai, ...Director,
    Chairman,   under section 8(2)(c), for one year
    Goa Milk Union.   from the date of publication of this
                                     notification in the Official Gazette.

8. Dr. Jagdish Chander Bakshi, ...Director,
    Ex-Vice Chancellor,   Under section 8(2)(e), upto 4th
    Rajendra Agricultural   November, 1993 from the date of
    University, Pusa, Bihar.   publication of this notification in the
                                     Official Gazette."

[No. 17–1/91–LD.I]

D.C. MISRA, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The Principal notification was published in the Gazette of India Part–II, Section–3, sub-section (ii), on the 22nd January, 1992, at page 2, under S.O. 68(E), issued by the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry & Dairying, Notification No. 17-1/91–LD–I, dated 22nd January, 1992